उत्तर प्रदेश शासन
प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2
संख्या– 728 /43–2–2014–15/2(2)/2014
लखनऊ : दिनांक 11 नवम्बर, 2014

अधिसूचना/नियुक्ति

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 22 सन् 2005) की धारा–15 की उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा–15 की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना संख्या–856/43–2–2005 –15/2(2)/2003 टी0सी0–04, दिनांक 14 सितम्बर, 2005 द्वारा गठित उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में उक्त अधिनियम की धारा–15 की उपधारा (3) के अधीन गठित समिति की संस्तुति पर एवं उक्त अधिनियम की धारा–16 की उपधारा (1) और तत्संबंधी धारा के अधीन **श्री जावेद उस्मानी पुत्र स्व0 श्री हशमत हुसैन उस्मानी, निवासी–2 विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ** को अपना पदभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. यह नियुक्ति उपर्युक्त अधिनियम की धारा–16 की उपधारा (1) के अनुरूप श्री जावेद उस्मानी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा श्री उस्मानी द्वारा 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, होगी।

3. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद का कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व श्री जावेद उस्मानी को शासकीय सेवा से प्रविरत होना आवश्यक होगा।

4. श्री जावेद उस्मानी को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर अनुमन्य वेतन और भत्ते एवं सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्तें उपर्युक्त अधिनियम की धारा–16 की उपधारा (5) के अधीन अवधारित होगें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव।

संख्या–728 (1)/43–2–2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के प्रमुख सचिव।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
3. उत्तर प्रदेश के समस्त मा0 मंत्रियों/राज्य मंत्रियों के निजी सचिव।
4. श्री जावेद उस्मानी पुत्र स्व0 श्री हशमत हुसैन उस्मानी, नि0–2 विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।

SIC

5. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
6. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली।
7. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
8. उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद के प्रमुख सचिव/सचिव।
9. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11.समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
12.महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
13.भारत के समस्त राज्यों के मुख्य सचिव।
14.सचिव, राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
15.निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
16.राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन।
17.संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ0प्र0।
18.गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(एस0एन0शुक्ल)
प्रमुख सचिव।

SIC